(20)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–990–दो/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–03–2006 पारित द्वारा बन्दोबस्त आयुक्त ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक–12/निग0/1998–99

.....

1–गुरूप्रसाद पुत्र नर्वदाराम

2–दयाशंकर पुत्र गुरूप्रसाद

निवासी– कमचढ़, तहसील–मझौली

जिला–सीधी,

------आवेदकगण

विरूद्ध

1– रामेश्वर पुत्र नर्वदाराम

निवासी–सिकरा तहसील मझौली,

जिला–सीधी

2– मुस0 गुजरात विधवा द्वारिकाराम

3– रामजी पुत्र नर्वदाराम

4– सूर्यपाल पुत्र नर्वदाराम

5– चंद्रिका प्रसाद पुत्र नर्वदाराम

6– हीरामणि पुत्र नर्वदाराम

7– शंखधर पुत्र हीरामणि

निवासी–2 से 7 कमचढ़, तहसील–मझौली

जिला–सीधी,

8– मध्यप्रदेश द्वारा कलेक्टर, सीधी

------अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14-7-16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत बन्दोबस्त आयुक्त ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 12/निग0/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 03–03–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, अनावेदक क्र.1 रामेश्वर प्रसाद ने सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, दल क्रमांक 3 सीधी के समक्ष वादग्रस्त भूमि पर पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार बंटवारा से प्राप्त होने से संहिता की धारा 109, 110 के तहत अंतरण नामांतरण किया जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । इस पर सहायक बन्दोबस्त अधिकारी ने प्रकरण दर्ज कर दिनांक 12.02.97 को व्यवहार न्यायाधीश प्रथम श्रेणी वाद क्रमांक 335/ए/83 में आदेश दिनांक 12.10.84 के अनुसार अनावेदक क्रमांक का आवेदन पत्र नामांतरण हेतु सिविलवाद के निर्णय आने तक स्थगित रखने का आदेश दिया । सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के उक्त आदेश से दुखी होकर अनावेदक क्र0 1 ने बन्दोबस्त अधिकारी सीधी के यहां अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 50/अपील/96–97 में आदेश दिनांक 30.03.1999 द्वारा अपील स्वीकार कर सहायक बन्दोबस्त अधिकारी का प्रश्नाकित आदेश डिक्री दिनांक 12.10.84 को छोड़कर शेष निरस्त करते हुये, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उनके आदेश की कंडिका 4 के निर्देशानुसार प्रस्तुत कर नामांतरण का आवेदन विधि अनुसार निराकरण किये जाने के लिये प्रत्यावर्तित किया गया । बन्दोबस्त अधिकारी ने अपने आदेश की कण्डिका 4 में यह निष्कर्ष दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय को पंजीकृत बटवारा दिनांक 10.010.94 के आधार पर नामांतरण आवेदन का निराकरण करना चाहिये था जो नहीं किया है। सिविल न्यायालय में केवल वाद प्रस्तुत कर दिये जाने से नामांतरण कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती है । बन्दोबस्त अधिकारी के उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा

निगरानी बन्दोबस्त आयुक्त, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । न्यायालय बन्दोबस्त आयुक्त, ग्वालियर के यहां प्रकरण पंजीबद्ध होकर पारित आदेश दिनांक 03.03.2006 को प्रस्तुत निगरानी निराधार मानते हुये अमान्य कर दी गई । अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से दुखी होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा दिनांक 14.12.83 के ग्राम अमाखोली एवं ग्राम सिकरा की मुस0 महारानी विधवा रामकिशोर के 1/3 हिस्से की भूमि पर मुस0 महारानी के जिन्दा होते हुए उसे मृतक बताकर नर्वदाराम एवं मुस0 गुजरातू के नाम राजस्व निरीक्षक से नामांतरण आदेश पारित कराया गया है । ऐसा नामांतरण आदेश मूलतः शून्य है । अनावेदक क्र0 1 द्वारा दिनांक 10.10.94 को नर्वदाराम से इन्हीं भूमियों को बंटवारा में प्राप्त किया गया है । इसी बंटवारा क आधार पर अनावेदक क्र0 1 द्वारा नामांतरण चाहा गया है । जबकि स्वयं बंटवारा करने वाले नर्वदाराम को ही दिनांक 14.12.83 के फर्जी नामांतरण से कोई स्वत्व ही प्राप्त नहीं होता है तब उसके द्वारा दिनांक 10.10.94 को किये गये विभाजन से अनावेदक क्र0 1 को कोई स्वत्व उत्पन्न नहीं होता । ऐसी स्थिति में उस विभाजन के आधार पर नामांतरण प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । तर्क में उन्होंने ने यह भी बताया है कि अनावेदक क्र0 3 रामजी द्वारा अपनी पुत्री के पक्ष में मुस0 गुजरातु से विक्रय पत्र द्वारा भूमि क्रय करने पर क्रेता को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता क्योंकि तथाकथित फर्जी नामांतरण आदेश दिनांक 14.12.83 से मुस0 गुजरातु को ही कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में समझने में भूल की गई है । अतः उक्त तर्क के अनुसार प्रकरण का निराकरण करते तथा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी का आदेश यथावत रख कर निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक के अभिषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत सिविलवाद दिनांक 22.02.2000 को निरस्त किया जा चुका है और वैसी भी सिविलवाद प्रस्तुत कर देने मात्र से नामांतरण की कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती । इस संबंध में कई राजस्व निर्णयों को उल्लेख किया गया है । बन्दोबस्त अधिकारी ने प्रकरण विधि सम्मत एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के अनुसार प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है ताकि अधीनस्थ न्यायालयों में उभयपक्ष अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें । अनावेदक के अभिभाषक

द्वारा आवेदक की निगरानी निरर्थक है, जिसे निरस्त कर बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश को यथावत रखा जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के अभिभाषकगणों के तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदक क्र0 1 ने रजिस्टर्ड बंटवारा दिनांक 10.10.94 के अनुसार नामांतरण चाहा है, जिसे विचारण न्यायालय ने निरस्त कर दिया है । उक्त बंटवारा दिनांक 10.10.94 की पुष्टि नर्वदाराम ने दिनांक 30.05.95 को विचारण न्यायालय के समक्ष की है । उक्त बंटवारा को निष्प्रभावी करने हेतु जो वाद आवेदक क्रमांक 1,2,3 द्वारा दायर किया गया था और विचारण न्यायालय के निर्णय के समय भी सिविल न्यायालय द्वारा कोई रोक आदेश नहीं दिया गया था फिर केवल वाद प्रस्तुत कर देने मात्र से नामान्तरण की कार्यवाही रोकी नहीं जा सकती । कंचन बाई विरूद्ध पूतीबाई विरूद्ध 1976 आर.एन. 475 में यह अभिनिर्धारित किया है कि राजस्व न्यायालय को यह आवश्यक नहीं है कि केवल इस कारण न्यायालय कि कार्यवाही स्थगित कर दें कि विवादग्रस्त भूमि के बारे में सिविलवाद प्रस्तुत कर दिया है । अब उक्त सिविलवाद दिनांक 22.02.2000 को निरस्त हो चुका है आवेदक का भाई हीरामणी जो अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक क्र0 1 था के द्वारा सी.पी.सी. आदेश 41 नियम 27 के तहत आवेदन पत्र के साथ शपथ-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि वह एवं अनावेदक क्र0 7 शंखधर का उक्त विवाद से कोई लेना देना नहीं है । वह प्राप्त बटवारे की भूमि से संतुष्ट है । उसके भाई गुरूप्रसाद जो आवेदक क्र0 1 ने निगरानी प्रस्तुत की है और सभी भाईयों का नाम दे दिया है । बन्दोबस्त अधिकारी का यह निष्कर्ष उचित ही है जिसमें उन्होंने कहा है कि व्यवहार न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, सीधी के वाद क्रमांक 335/ए/83 में पारित आदेश दिनांक 12.10.84 का सहारा लेकर विचारण न्यायालय में नर्वदाराम 1/3 मु0 गुजरतुआ 1/3, मु0 महारानी 1/3 का नाम दर्ज किया है, जबकि विचारण न्यायालय का उक्त आदेश का कोई आधार ही नहीं है क्योंकि सिविल वाद में कहीं भी ऐसा नाम दर्ज करने का आदेश नहीं दिया गया है । ऐसी स्थिति में बन्दोबस्त अधिकारी ने प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तिकर कर उचित ही किया है, जहां कि उभयपक्ष को अपना-अपना पक्ष समर्थन हेतु समुचित अवसर मिलेगा । जे0एस0भगत विरूद्ध सुदेश कुमारी

1992 आर.एन. 242 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्याय हित में अतिरिक्त जांच के लिये मामला प्रतिप्रेषण किया जाना उचित है । ऐसे में बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश को बन्दोबस्त आयुक्त ने उचित एवं सही मानते हुये यथावत रखा है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर बन्दोबस्त आयुक्त का आलोच्य आदेश दिनांक 03.03.2006 अपने स्थान पर सही होने से स्थिर रखा जाता है और निगरानी बलहीन होने से खारिज की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,